संख्या-49/2022/001-2151944-2022-5-364-2022-12-5002-1-2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 12 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.) के अन्तर्गत केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य एवं वानिकी) के पत्र संख्या-भू०सं०/एस०एम०एस०-श०एवंवा०/पी०एम०के०एस०वाई०-खे०ता०/91/2022-23, दिनांक 28.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.) में प्राविधानित धनराशि रू० 95.56 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रू० 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

4- इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

5- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

6- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। केन्द्रांश की उपलब्धता एवं द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7- इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

8- उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

13- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 07.06.2022 सहित संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन धनराशि का व्यय करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 81 **लेखा शीर्षक** 2402001020601 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश अशासकीय संख्या-ई-1-53-दस-2022-23, दिनांक 08 जुलाई, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in